



Neutral Citation No. - 2026:AHC:161936

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7822/2026

जावेद

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : संजय सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- सुना गया। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 190 वर्ष 2026, धारा 69, 89 बी.एन.एस., थाना सावर, जनपद रामपुर में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है; उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया कि सूचनाकर्ता द्वारा एक झूठी एवं निराधार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि पीड़िता के साथ विवाह का झूठा वादा करके बलात्कार किया गया। पीड़िता का यह स्वीकृत प्रकरण है कि वह बालिग लड़की थी, जिसकी आयु लगभग 19 वर्ष थी और वह पिछले तीन वर्षों से आवेदक के संपर्क में थी तथा इस अवधि के दौरान दोनों के मध्य सहमति से संबंध रहे। आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट टूटे हुए संबंध का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिणाम है और यह तब दर्ज कराई गई जब दोनों के बीच संबंध खराब हो गए। पीड़िता का कथन निरंतर बदलता रहा है और वह अभियोजन के प्रकरण में अधिक विश्वास उत्पन्न नहीं करता है।

4- विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यक्षदर्शी कथन चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्ट नहीं होता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि तीन वर्ष की इस दीर्घ अवधि के दौरान पीड़िता ने आवेदक द्वारा उसके साथ किए गए कथित यौन शोषण के संबंध में पूर्णतः मौन साधे रखा और तब तक कोई बात नहीं कही, जब तक उसे यह ज्ञात नहीं हुआ कि आवेदक उससे विवाह करने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रथम कथित यौन संबंध की घटना और तीन वर्षों तक जारी रहे संबंध के बीच तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने तक का तीन वर्ष का लंबा अंतराल स्पष्ट करता है कि यह प्रकरण प्रेम संबंध से संबंधित है। जब संबंध खराब हो गया, तब पीड़िता के पिता द्वारा अंतर्निहित दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दो बालिग व्यक्तियों के बीच सहमति से रहे संबंध को आपराधिक अपराध में परिवर्तित कर दिया गया है।

5- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

6- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया, तथापि उन्होंने तथ्यात्मक पहलू पर विवाद नहीं किया।

7- मैंने दोनों पक्षों की परस्पर विरोधी प्रस्तुतियों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

8- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विवेचना की दिशा को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को धमकाना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से बच निकलने, जैसे कि देश छोड़कर जाने आदि की संभावना पर विचार करना होता है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथ्यों जैसे विचारों से निर्देशित होना चाहिए। जमानत प्रदान की जाए अथवा नहीं, यह विवेकाधिकार का विषय है।

9- **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676** में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है, जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो अथवा यह कोई जघन्य अपराध हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की संभावना हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं हो जाता कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व तथा उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार होगा या समन का पालन नहीं करेगा और वास्तव में उसने पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

10- **महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2024) 11 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 398** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि जहाँ किसी महिला द्वारा किसी पुरुष के साथ दीर्घ अवधि तक जानबूझकर शारीरिक संबंध बनाए रखे गए हों, वहाँ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त शारीरिक संबंध केवल विवाह के कथित वादे के कारण ही था। किसी महिला के पास विवाह के वादे के अतिरिक्त शारीरिक संबंध बनाने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे पुरुष साथी के प्रति व्यक्तिगत पसंद।

11- **प्रशांत बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, (2025) 5 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 764** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यह कल्पना से परे है कि शिकायतकर्ता उसकी ओर से स्वैच्छिक सहमति के अभाव में अभियुक्त से मिलना जारी रखेगी अथवा उसके साथ दीर्घकालिक संबंध या शारीरिक संबंध बनाए रखेगी।

12- इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **समाधान बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 2528** के प्रकरण में असंख्य अवसरों पर उस चिंताजनक प्रवृत्ति का संज्ञान लिया है, जिसमें असफल या टूटे हुए संबंधों को आपराधिकता का रंग दे दिया जाता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। बलात्कार का अपराध, जो अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है, केवल उन्हीं प्रकरणों में आरोपित किया जाना चाहिए जहाँ वास्तविक यौन हिंसा, बलपूर्वकता अथवा स्वतंत्र सहमति का अभाव विद्यमान हो। प्रत्येक खराब हुए संबंध को बलात्कार के अपराध में परिवर्तित करना न केवल अपराध की गंभीरता को तुच्छ बनाता है, बल्कि अभियुक्त पर अमिट कलंक और गंभीर अन्याय भी आरोपित करता है। ऐसे उदाहरण मात्र व्यक्तिगत मतभेद की सीमा से परे हैं। इस संबंध में आपराधिक न्याय तंत्र का दुरुपयोग न्यायपालिका के लिए गहन चिंता का विषय है, जो पहले से ही भारी कार्यभार का सामना कर रही है, और इसकी निंदा की जानी चाहिए।

13- माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रजनीश सिंह उर्फ सोनी बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य, 2025 (4) एससीसी 197** में अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ कोई महिला किसी पुरुष के साथ उसकी प्रकृति से पूर्णतः अवगत होते हुए स्वेच्छा से दीर्घकालिक संबंध में रहती है और ऐसा दर्शाने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि उक्त संबंध तथ्य की भांति अथवा प्रारंभ से ही दुर्भावनापूर्वक किए गए विवाह के झूठे वादे से प्रेरित था, वहाँ उस पुरुष को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

14- **प्रमोद कुमार नवरत्न बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, 2026 एससीसी ऑनलाइन एससी 154** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) के अंतर्गत दर्ज किए गए वास्तविक प्रकरणों की पहचान करने में अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता बरतनी होगी तथा उक्त अपराध के गठन हेतु आवश्यक तत्वों की पहचान करनी होगी। ऐसे वास्तविक प्रकरणों को उन मुकदमों से स्पष्ट रूप से पृथक किया जाना चाहिए, जो सहमति देने वाले बालिगों के बीच सहमति से रहे संबंधों के विवाद एवं असहमति अथवा भविष्य में मन बदल जाने के कारण खराब हो जाने से उत्पन्न होते हैं।

15- माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रवीश सिंह राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1055** के प्रकरण में टिप्पणी की है कि यदि दो समझदार बालिग व्यक्ति लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखते हैं, तो यह उपधारणा उत्पन्न होगी कि उन्होंने स्वेच्छा से सहमति वाले संबंध को चुना था और बाद में विवाह के वादे का पूरा न होना किसी अपराध को आकर्षित नहीं करेगा।

16- माननीय उच्चतम न्यायालय ने **प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2019)**

9 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 608 में अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ विवाह करने का वादा झूठा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हो और वादा करने वाले का वादा करते समय ही उसे पूरा करने का कोई इरादा न हो, बल्कि महिला को धोखा देकर उसे यौन संबंध बनाने के लिए सहमत करने का इरादा हो, वहाँ यह एक “तथ्य की भ्रांति” है, जो महिला की “सहमति” को दूषित कर देती है। तथापि, केवल वादे का उल्लंघन किए जाने को झूठा वादा नहीं कहा जा सकता। अतः झूठे वादे को स्थापित करने के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक होगा कि वादा करने वाले का वादा करते समय अपने कथन को पूरा करने का कोई इरादा नहीं था।

17- सोनू उर्फ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 18 एससीसी 517 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया, यह संज्ञान लेते हुए कि अभियुक्त और पीड़िता के बीच संबंध सहमति पर आधारित था तथा दोनों डेढ़ वर्ष की अवधि तक संबंध में रहे थे और बाद में अभियुक्त ने अभियोजिका से विवाह करने की अनिच्छा व्यक्त की, जिसके कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

18- माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुणाल चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य, 2025 7 सर्वोच्च 489 के प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया, जिसमें पीड़िता ने स्वयं को नाबालिग लड़की बताया था और प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके बालिग होने के पश्चात उसके द्वारा दर्ज कराई गई थी। अभिनिर्धारित किया गया कि विवाह का वादा तथा तत्पश्चात दोनों के बीच सहमति से स्थापित शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं माना जाएगा। कुणाल चटर्जी (पूर्वोक्त) का निर्णय संक्षिप्त है, इसलिए संपूर्ण निर्णय निम्नवत् पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

“अनुमति प्रदान की गई।

इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धाराओं 417, 376, 506, धारा 34 के साथ पठित तथा पाँक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत एक प्रकरण में अभियुक्त है। शिकायत अभियोजिका द्वारा की गई है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के समय बालिग थी, किंतु उसका आरोप है कि वह नाबालिग थी और उसकी आयु 15 वर्ष थी, अर्थात् तीन वर्ष से अधिक समय पूर्व, जब अपीलकर्ता और अभियोजिका के बीच सहमति से संबंध था और अपीलकर्ता द्वारा उससे विवाह करने का वादा किए जाने के पश्चात शिकायतकर्ता ने उसके साथ संबंध में रहने के लिए सहमति दी थी। बालिग होने के पश्चात अपीलकर्ता अपने वादे से मुकर गया और वर्तमान अपीलकर्ता के माता-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



पिता द्वारा अभियोजिका को अपमानित किया गया। अतः अभियोजिका को न केवल अपीलकर्ता, बल्कि उसके पिता, माता और चाचा के विरुद्ध भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए विवश होना पड़ा। अभियोजन का यह प्रकरण है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का सार यह है कि जब वह नाबालिग थी, तब वह स्वीकारतः एक संबंध में थी और उसने विवाह के वादे पर उक्त संबंध स्थापित किया था। अतः बलात्कार का प्रकरण बनता है और वह भी एक बच्चे के साथ बलात्कार का।

अभियुक्त ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त कराने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का आह्वान किया था। जहाँ तक अपीलकर्ता के पिता, माता और चाचा का संबंध है, उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत कार्यवाहियां निरस्त कर दी थीं। किंतु वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्यवाहियां जारी रखी गईं। अब अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना करते हुए उपस्थित है कि उसके विरुद्ध भी कार्यवाहियां निरस्त किए जाने योग्य हैं। राज्य तथा शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने कार्यवाहियों को निरस्त किए जाने की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है।

हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने 'बलात्कार' की परिभाषा पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि नाबालिग द्वारा दी गई सहमति कोई सहमति नहीं है और फिर भी यह बलात्कार होगा। हमारे सुविचारित मत में, जहाँ तक अभियोजिका के नाबालिग होने के समय अपीलकर्ता द्वारा किए गए बलात्कार का संबंध है, अभियोजन के पास इसका पूर्णतः कोई साक्ष्य नहीं है और निश्चित रूप से कोई फॉरेंसिक साक्ष्य भी नहीं है। यह केवल तीन वर्ष से अधिक समय पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाया गया एक आरोप है, ताकि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत यह प्रकरण बनाया जा सके कि तीन वर्ष पूर्व जब वह नाबालिग थी, तब उसके साथ बलात्कार का ऐसा कृत्य किया गया था। वह यह भी स्पष्ट रूप से कहती है कि उसने उक्त कृत्य के लिए सहमति दी थी, क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा उससे विवाह करने का वादा किया गया था। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में अभिनिर्धारित किया है कि विवाह का वादा और उसके पश्चात दोनों के बीच सहमति से स्थापित शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं माना जाएगा और इसके कारण भी बताए गए हैं (देखें: पृथ्वीराजन बनाम



राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 696, प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 9 एससीसी 608, महेश्वर टिग्गा बनाम झारखण्ड राज्य, (2020) 10 एससीसी 108)।

वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभियोजन के पास उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति, विशेष रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुआ लंबा विलंब, स्वयं यह दर्शाता है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध दर्ज की गई वर्तमान आपराधिक कार्यवाहियां विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं तथा उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता के मामले में भी अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए था, जैसा कि उसने शेष अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाहियों को निरस्त करते समय किया था। इन परिस्थितियों में, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्यवाहियों को निरस्त करते हैं, क्योंकि ये विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। लंबित अंतरवर्ती आवेदन, यदि कोई हो/हों, का निस्तारण किया जाता है।”

19- अतः, उपर्युक्त निर्णयों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि यदि पक्षकार लंबे समय से और निरंतर सहमति से शारीरिक संबंध में थे तथा संबंध की शुरुआत से ही धोखाधड़ी का कोई तत्व नहीं था, तो ऐसा संबंध बलात्कार के समान नहीं होगा।

20- इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में ऐसे प्रकरण देखे हैं, जिनमें यह बढ़ती हुई प्रवृत्ति सामने आई है कि लंबे समय तक चलते रहे सहमति वाले संबंधों के खराब हो जाने पर उन्हें आपराधिक न्यायशास्त्र का सहारा लेकर अपराध के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है।

21- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियां, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और आवेदक का प्रकरण उपर्युक्त निर्णयों द्वारा पूर्णतः आच्छादित होने के कारण, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण बनता है।

22- तदनुसार, अग्रिम जमानत का आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

(i)- उपर्युक्त प्रकरण में सम्मिलित आवेदक-जावेद की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि वह संबंधित थाने के थाना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के दो जमानतदारों के साथ ₹50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करे;

(ii)- आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा विवेचना किए जाने के प्रयोजन से जब भी अपेक्षित होगा, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;

(iii)- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके; तथा

(iv)- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

23- किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करे।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

4 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला